अजय कुमार बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा०पत्र अस्थाई निषे० ...

24.12.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में हिदायत पैरवी किये जाने से इन्कार किया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को रूक रूककर बार–बार आवाजें दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की ओर से कोई वकालतन या असालतन उपस्थित नही आये है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण को बहस हेतु नियत किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पूर्व में पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2023 को मूल वाद पत्र उनवानी अजय कुमार वगै0 बनाम जगदीश वगै0 के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1022 रकबा 1.86 हैक्टर तन् ग्राम खन्नीपुरा पटवार हल्का हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर के मौके पर राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति बनाये रखेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)